बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,

EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक/अन्य राजस्व/2018/2563-72 दिनांक :– 09/02/18

–: नीलामी सूचना :–

बीकानेर नगरीय क्षेत्र में स्थित विद्युत पोलो पर कियोस्क बोर्ड (निर्धारित माप Standard Size 40"X30") लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ठेका खुली नीलामी द्वारा द्वारा दिनांक 20.03.2018 को दोपहर 2:30 बजे से अंतिम व उच्चतम बोली प्राप्त होने तक नगर निगम कार्यालय में निम्नानुसार आयोजित किया जावेगा। खुली निलामी दिनाक को अन्तिम उच्चतम बोली स्वीकार योग्य प्राप्त न होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस को बोली निरन्तरता में जारी रहेगी।

क्र.स.	विवरण	ठेके की अवधि	धरोहर राशि	आरक्षित दर
जोन 1	उरमूल सर्किल से जयपुर रोड, जय नारायण व्यास कॉलोनी, हॉस्पीटल रोड, अम्बेडकर सर्किल से मेडिकल कॉलेज तक, मेडिकल कॉलेज से नागणेची जी मंदिर रोड के मध्य।	तीन वर्ष (प्रथम वर्ष वर्ष खुली नीलामी के आधार पर + दो वर्ष नवीनीकरण के आधार पर)	50,000	30,92,100
जोन 2	अम्बेडकर सर्किल से रानी बाजार, ओवरब्रिज रानी बाजार से नोखा रोड, गंगाशहर से स्टेशन रोड को लेते हुए कोटगेट एवं के. ई.एम. रोड से सार्दुल सिंह सर्किल के मध्य।	तीन वर्ष (प्रथम वर्ष वर्ष खुली नीलामी के आधार पर + दो वर्ष नवीनीकरण के आधार पर)	50,000	22,67,100
जोन 3	सार्दुल सिंह सर्किल से उरमूल सर्किल से नई गजनेर रोड, रेल्वे ओवरब्रिज होते हुए, नई गजनेर रोड व पुरानी गजनेर रोड।	तीन वर्ष (प्रथम वर्ष वर्ष खुली नीलामी के आधार पर + दो वर्ष नवीनीकरण के आधार पर)	50,000	32,80,200
जोन 4	उरमूल सर्किल से गंगानगर रोड के मध्य व अन्य कॉलोनियों में लगे पोलो पर।	तीन वर्ष (प्रथम वर्ष वर्ष खुली नीलामी के आधार पर + दो वर्ष नवीनीकरण के आधार पर)	50,000	18,38,100

ईच्छुक व्यक्ति/फर्म उपर्युक्तानुसार धरोहर राशि नीलामी दिनांक 20.03.2018 को दोपहर 02:30 बजे तक नगर निगम में जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकता है। अन्तिम एवं उच्चतम बोलीदाता को बोली की 1/4 राशि नीलामी समाप्ति पर उसी दिन निगम कोष मे जमा करवानी होगी। नीलामी की शर्तें व अन्य विवरण नीलामी दिनांक तक किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय के अन्य राजस्व अनुभाग (कमरा नं 23) तथा निगम की वेब साईट www.bikanermc.org पर देखी जा सकती है। नीलामी के संबंध में बीकानेर नगर निगम का निर्णय अंतिम होगा।

निकया गोहाएन (IAS)
आयुक्त

NOT TO BE PUBLISHED

क्रमांक – अन्य राजस्व/2018/ दिनांक –

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. माननीय महापौर महोदय, नगर निगम बीकानेर।
02. श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर।
03. श्रीमान् सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
04. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना का कम से कम स्पेस में नियमानुसार सर्वाधिक प्रसारित होने वाले एक अखिल भारतीय स्तर के मुख्य दैनिक समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार–पत्र के बीकानेर संस्करण मे दिनांक 15.02.2018 से पूर्व प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें तथा प्रकाशन उपरान्त समाचार पत्र की तीन प्रतियां एवं विपत्र भुगतान हेतु बीकानेर नगर निगम को भिजवाने का श्रम करवायें।
05. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), नगर निगम बीकानेर।
06. मुख्य लेखाधिकारी को भेजकर लेख है कि नीलामी दिनांक को खुली नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा उक्तानुसार जमा कराई जाने वाली धरोहर राशि को नियमानुसार जमा करवाने की व्यवस्था करें।
07. उपविधि परामर्शी/राजस्व अधिकारी प्रथम/सचिव, नगर निगम बीकानेर।
08. आर. के. डिजिटल स्टूडियो, किसान छात्रावास रोड, रानी बाजार, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नीलामी दिनांक को नीलामी कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाने की व्यवस्था करावें।
09. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रकाशन करावें।
10. वरिष्ठ लिपिक, अन्य राजस्व अनुभाग, बीकानेर नगर निगम को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना को निगम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।

– Sd –
निकया गोहाएन (IAS)
आयुक्त

(50)

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं :-0151-2226902, 0151-2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

कियोस्क बोर्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के ठेके की शर्ते

बीकानेर नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलो पर विद्युत पोलो पर कियोस्क बोर्ड लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु जोन संख्या 01 के लिए खुली नीलामी द्वारा किये जाने वाले ठेके की शर्ते :-

1. नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत पोलो पर कियोस्क बोर्ड लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ठेके की अवधि तीन वर्ष (प्रथम वर्ष खुली नीलामी के आधार पर + दो वर्ष नवीनीकरण के आधार पर) के लिए मान्य होगी।
2. कियोस्क बोर्ड ठेके के लिए खुली नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर राशि 50,000/- (पचास हजार रुपये) नगर निगम कोष में जमा कराने होगे। उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि बोलीदाता को ठेका अवधि समाप्त होने के पश्चात ही लौटाई जावेगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि 15 दिवस के पश्चात् लौटाई जायेगी। अन्य बोलीदाताओं को धरोहर राशि नीलामी के पश्चात् वापस कर दी जावेगी। नीलामी की अन्तिम व उच्चतम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
3. नीलामी के पश्चात् उच्चतम बोली स्वीकृत होने की स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को बोली की एक चौथाई राशि नीलामी समाप्ति पर उसी दिन निगम कोष मे जमा करनी होगी तथा शेष 3/4 राशि खुली नीलामी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा कराने में असफल रहने पर बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी। ऐसे बोलीदाता/फर्म को पुनः नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. संवेदक द्वारा प्रथम वर्ष की समस्त राशि जमा करवाए जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष की नीलामी राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि कर द्वितीय वर्ष हेतु नवीनीकरण राशि की गणना की जायेगी। इसी भाँति तृतीय वर्ष हेतु नवीनीकरण के लिए द्वितीय वर्ष की नवीनीकरण की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जावेगी। इस प्रकार द्वितीय व तृतीय वर्ष ठेका नवीनीकरण के लिए गणना की गई धन राशि संवेदक द्वारा क्रमशः प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की ठेका अवधि समाप्त होने के दो माह पूर्व जमा करवाई जानी होगी अन्यथा निगम धरोहर राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा एवं नयी नीलामी इनके रिस्क एंड कोस्ट के आधार पर जारी की जावेगी।
5. संवेदक द्वारा नियमानुसार देय राशि नियत समयावधि के पश्चात् जमा कराने पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।
6. नगर निगम द्वारा केवल साईट नीलाम की जा रही है। इस स्थान पर कियोस्क बोर्ड लगाने का व उस पर विज्ञापन का व्यय संवेदक को करना होगा।
7. कियोस्क बोर्ड का साईज 40"X30" Standard Size (स्टैण्डर्ड साईज) का होगा। इस साईज को घटाने-बढाने का अधिकार बीकानेर नगर निगम के सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निर्धारित साईज से भिन्न रुप से लगाए गए कियोस्क बोर्ड को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा संवेदक से वसूल किया जावेगा।
8. प्रत्येक पोल पर निर्धारित साईज के दो बोर्ड लगाने होगें। जहाँ पोल पर फ्यूज मीटर बॉक्स लगे है, वहाँ से ऊपर 2-3 फीट की ऊँचाई पर बोर्ड लगाने होगें।
9. कियोस्क बोर्ड लगाते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए संवेदक ही जिम्मेवार होगा। बीकानेर नगर निगम को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की क्षति-पूर्ति आदि देने की जिम्मेवारी नहीं होगी।
10. ठेके की स्वीकृती के पश्चात् संवेदक को 15 दिवस में नियमानुसार अनुबंध करवाना आवश्यक होगा। अनुबंध का समस्त खर्च संवेदक को वहन करना होगा।
11. बीकानेर नगर निगम के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को अधिकार होगा कि वह लगे हुए बोर्डो की जांच कर सकेगें। संवेदक को दिये गये निर्देशों एवं आदेशों की पालना संवेदक द्वारा की जानी अनिवार्य होगी। संवेदक द्वारा पालना नहीं करने पर निगम को अधिकार होगा कि वह कियोस्क बोर्ड हटवा कर हर्जा-खर्चा वसूल करे।
12. कियोस्क बोर्ड पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नही किया जावेगा।
13. संवेदक द्वारा ऐसा कोई कार्य नही किया जायेगा जिससे कि निगम सम्पति को खतरा या नुकसान होता हो। यदि निगम की सम्पति को किसी भी प्रकार से नुकसान या खतरा पहुंचना पाया गया तो सम्पति की वसूली संवेदक से की जायेगी एवं कानूनी कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

Scanned by CamScanner

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

14. यदि संवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी तकनीकी कार्य किया जाना आवश्यक हो तो यह कार्य अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता नगर निगम से सम्पर्क कर इनकी राय अनुसार ही करना होगा, किन्तु मूल सरंचना (original Structure) से किसी प्रकार की छेडछाड़ नहीं की जावेगी।
15. सभी कियोस्क बोर्ड इत्यादि को सही हालत में रखना होगा। संवेदक द्वारा प्रत्येक संरचना पर अपना नाम एवं साईट नं स्पष्ट एवं दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज संवेदक से वसूल किया जावेगा।
16. संवेदक का यह दायित्व होगा कि वह कियोस्क बोर्ड को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में कियोस्क बोर्ड नीचे नही गिरे। इनके गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की व भरपाई की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी। कियोस्क बोर्ड की देखरेख का समस्त दायित्व संवेदक का होगा। किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
17. किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणवश यदि कियोस्क बोर्ड मुडकर, मार्ग में गिरकर अवरोध, बाधा, विघ्न पैदा करते है तो इनको दुरूस्त कर नियमानुसार लगाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. यदि न्यायालय के निर्देशाधीन किसी साईट को हटाना या शिफ्ट करना पडे तो संवेदक को निर्देशानुसार ऐसा स्वंय के खर्चे कर करना होगा। नगर निगम, माननीय न्यायालय, स्वायत शासन विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा समय–समय पर सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशो एवं मानदण्डो की पालना संवेदक द्वारा अनिवार्य रुप से की जावेगी।
19. यदि कोई कियोस्क बोर्ड पर निगम हित में या जनहित में या यातायात इत्यादि में बाधक होने या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित न किये जा सकने की दशा में संवेदक द्वारा ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जावेंगें एवं संवेदक द्वारा निगम कोष में जमा करवाई गई धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं लौटाई जावेगी।
20. ठेका अवधि समाप्ति पर कियोस्क बोर्ड नहीं हटाने पर निगम हटा सकेगा एवं इसका हर्जा–खर्चा सबंधित संवेदक से वसूल किया जाएगा।
21. समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो संवेदक द्वारा ही जमा कराने का दायित्व होगा।
22. समय–समय पर जनहित में तथा सरकारी योजनाओ, उपलब्धियो कार्यक्रम आदि के प्रचार–प्रसार हेतु कियोस्क बोर्ड साईटस की आवश्यकता होने पर संवेदक द्वारा निगम की आवश्यकतानुसार साईटस उपलब्ध करवाई जावेगी। इस हेतु नगर निगम द्वारा किसी प्रकार का भुगतान संवेदक को नही किया जावेगा तथा न ही संवेदक द्वारा निगम कोष में जमा करवाई गई राशि का किसी तरह से समायोजन किया जावेगा।
23. ठेके की शर्तो में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम बीकानेर का होगा तथा संशोधन परिवर्तन संवेदक को मान्य होगा।
24. संवेदक नगर पालिका अधिनियम 2009, नगर निगम बीकानेर विज्ञापन उपविधियो के प्रावधानो, ठेके की शर्तो एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सक्षम अधिकारी/बीकानेर नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशो एवं निर्देशो की पालना करने के लिए बाध्य होगा। इनका उल्लंघन पाऐ जाने पर ठेका निरस्त किया जाकर ठेके के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम बीकानेर द्वारा जब्त की जा सकेगी। ठेका निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से संवेदक के कियोस्क बोर्ड बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
25. विवादक स्थिति के लिए न्यायिक क्षेत्र बीकानेर शहर होगी।

राजस्व अधिकारी प्रथम नगर निगम बीकानेर	मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम बीकानेर	विधि परामर्शी नगर निगम बीकानेर	उपायुक्त नगर निगम बीकानेर

D:\Gaurav\Other Revenue Department\अन्य राजस्व\Sitambar 2017 Office Letter.docx

Scanned by CamScanner

(44)

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

किंयोस्क बोर्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के ठेके की शर्ते

बीकानेर नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलो पर विद्युत पोलो पर कियोस्क बोर्ड लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु जोन संख्या 02 के लिए खुली नीलामी द्वारा किये जाने वाले ठेके की शर्ते :–

1. नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत पोलो पर कियोस्क बोर्ड लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ठेके की अवधि तीन वर्ष (प्रथम वर्ष खुली नीलामी के आधार पर + दो वर्ष नवीनीकरण के आधार पर) के लिए मान्य होगी।
2. कियोस्क बोर्ड ठेके के लिए खुली नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर राशि 50,000/– (पचास हजार रुपये) नगर निगम कोष में जमा कराने होगे। उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि बोलीदाता को ठेका अवधि समाप्त होने के पश्चात ही लौटाई जावेगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि 15 दिवस के पश्चात् लौटाई जायेगी। अन्य बोलीदाताओं को धरोहर राशि नीलामी के पश्चात् वापस कर दी जावेगी। नीलामी की अन्तिम व उच्चतम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
3. नीलामी के पश्चात् उच्चतम बोली स्वीकृत होने की स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को बोली की एक चौथाई राशि नीलामी समाप्ति पर उसी दिन निगम कोष मे जमा करनी होगी तथा शेष 3/4 राशि खुली नीलामी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा कराने में असफल रहने पर बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी। ऐसे बोलीदाता/फर्म को पुनः नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. संवेदक द्वारा प्रथम वर्ष की समस्त राशि जमा करवाए जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष की नीलामी राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि कर द्वितीय वर्ष हेतु नवीनीकरण राशि की गणना की जायेगी। इसी भाँति तृतीय वर्ष हेतु नवीनीकरण के लिए द्वितीय वर्ष की नवीनीकरण की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जावेगी। इस प्रकार द्वितीय व तृतीय वर्ष ठेका नवीनीकरण के लिए गणना की गई धन राशि संवेदक द्वारा क्रमशः प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की ठेका अवधि समाप्त होने के दो माह पूर्व जमा करवाई जानी होगी अन्यथा निगम धरोहर राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा एवं नयी नीलामी इनके रिस्क एंड कोस्ट के आधार पर जारी की जावेगी।
5. संवेदक द्वारा नियमानुसार देय राशि नियत समयावधि के पश्चात् जमा कराने पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।
6. नगर निगम द्वारा केवल साईट नीलाम की जा रही है। इस स्थान पर कियोस्क बोर्ड लगाने का व उस पर विज्ञापन का व्यय संवेदक को करना होगा।
7. कियोस्क बोर्ड का साईज 40"X30" Standard Size (स्टैण्डर्ड साईज) का होगा। इस साईज को घटाने–बढाने का अधिकार बीकानेर नगर निगम के सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निर्धारित साईज से भिन्न रुप से लगाए गए कियोस्क बोर्ड को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा–खर्चा संवेदक से वसूल किया जावेगा।
8. प्रत्येक पोल पर निर्धारित साईज के दो बोर्ड लगाने होगें। जहाँ पोल पर फ्यूज मीटर बॉक्स लगे हैं, वहाँ से ऊपर 2–3 फीट की उँचाई पर बोर्ड लगाने होगें।
9. कियोस्क बोर्ड लगाते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए संवेदक ही जिम्मेवार होगा। बीकानेर नगर निगम को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की क्षति–पूर्ति आदि देने की जिम्मेवारी नहीं होगी।
10. ठेके की स्वीकृती के पश्चात् संवेदक को 15 दिवस में नियमानुसार अनुबंध करवाना आवश्यक होगा। अनुबंध का समस्त खर्च संवेदक को वहन करना होगा।
11. बीकानेर नगर निगम के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को अधिकार होगा कि वह लगे हुए बोर्डो की जांच कर सकेगें। संवेदक को दिये गये निर्देशों एवं आदेशों की पालना संवेदक द्वारा की जानी अनिवार्य होगी। संवेदक द्वारा पालना नहीं करने पर निगम को अधिकार होगा कि वह कियोस्क बोर्ड हटवा कर हर्जा–खर्चा वसूल करे।
12. कियोस्क बोर्ड पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नही किया जावेगा।
13. संवेदक द्वारा ऐसा कोई कार्य नही किया जायेगा जिससे कि निगम सम्पति को खतरा या नुकसान होता हो। यदि निगम की सम्पति को किसी भी प्रकार से नुकसान या खतरा पहुंचना पाया गया तो सम्पति की वसूली संवेदक से की जायेगी एवं कानूनी कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

Scanned by CamScanner

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं :-0151-2226902, 0151-2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

14. यदि संवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी तकनीकी कार्य किया जाना आवश्यक हो तो यह कार्य अधिषाशी अभियंता/सहायक अभियंता नगर निगम से सम्पर्क कर इनकी राय अनुसार ही करना होगा, किन्तु मूल सरंचना (original Structure) से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जावेगी।
15. सभी कियोस्क बोर्ड इत्यादि को सही हालत में रखना होगा। संवेदक द्वारा प्रत्येक संरचना पर अपना नाम एवं साईट नं स्पष्ट एवं दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज संवेदक से वसूल किया जावेगा।
16. संवेदक का यह दायित्व होगा कि वह कियोस्क बोर्ड को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में कियोस्क बोर्ड नीचे नही गिरे। इनके गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की व भरपाई की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी। कियोस्क बोर्ड की देखरेख का समस्त दायित्व संवेदक का होगा। किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
17. किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणवश यदि कियोस्क बोर्ड मुडकर, मार्ग में गिरकर अवरोध, बाधा, विघ्न पैदा करते है तो इनको दुरूस्त कर नियमानुसार लगाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. यदि न्यायालय के निर्देशाधीन किसी साईट को हटाना या शिफ्ट करना पडे तो संवेदक को निर्देशानुसार ऐसा स्वंय के खर्चे कर करना होगा। नगर निगम, माननीय न्यायालय, स्वायत शासन विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशो एवं मानदण्डो की पालना संवेदक द्वारा अनिवार्य रुप से की जावेगी।
19. यदि कोई कियोस्क बोर्ड पर निगम हित में या जनहित में या यातायात इत्यादि में बाधक होने या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित न किये जा सकने की दशा में संवेदक द्वारा ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जावेंगें एवं संवेदक द्वारा निगम कोष में जमा करवाई गई धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं लौटाई जावेगी।
20. ठेका अवधि समाप्ति पर कियोस्क बोर्ड नहीं हटाने पर निगम हटा सकेगा एवं इसका हर्जा-खर्चा सबंधित संवेदक से वसूल किया जाएगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो संवेदक द्वारा ही जमा कराने का दायित्व होगा।
22. समय-समय पर जनहित में तथा सरकारी योजनाओ, उपलब्धियो कार्यक्रम आदि के प्रचार-प्रसार हेतु कियोस्क बोर्ड साईटस की आवश्यकता होने पर संवेदक द्वारा निगम की आवश्यकतानुसार साईटस उपलब्ध करवाई जावेगी। इस हेतु नगर निगम द्वारा किसी प्रकार का भुगतान संवेदक को नही किया जावेगा तथा न ही संवेदक द्वारा निगम कोष में जमा करवाई गई राशि का किसी तरह से समायोजन किया जावेगा।
23. ठेके की शर्तो में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम बीकानेर का होगा तथा संशोधन परिवर्तन संवेदक को मान्य होगा।
24. संवेदक नगर पालिका अधिनियम 2009, नगर निगम बीकानेर विज्ञापन उपविधियो के प्रावधानो, ठेके की शर्तो एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सक्षम अधिकारी/बीकानेर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशो एवं निर्देशो की पालना करने के लिए बाध्य होगा। इनका उल्लंघन पाऐ जाने पर ठेका निरस्त किया जाकर ठेके के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम बीकानेर द्वारा जब्त की जा सकेगी। ठेका निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से संवेदक के कियोस्क बोर्ड बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
25. विवादक स्थिति के लिए न्यायिक क्षेत्र बीकानेर शहर होगी।

27.02.18			
राजस्व अधिकारी प्रथम नगर निगम बीकानेर	मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम बीकानेर	उपविधि परामर्शी नगर निगम बीकानेर	उपायुक्त नगर निगम बीकानेर

Scanned by CamScanner

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,

EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

कियोस्क बोर्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के ठेके की शर्ते

बीकानेर नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलो पर विद्युत पोलो पर कियोस्क बोर्ड लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु जोन संख्या 03 के लिए खुली नीलामी द्वारा किये जाने वाले ठेके की शर्तें :–

1. नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत पोलो पर कियोस्क बोर्ड लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ठेके की अवधि तीन वर्ष (प्रथम वर्ष खुली नीलामी के आधार पर + दो वर्ष नवीनीकरण के आधार पर) के लिए मान्य होगी।
2. कियोस्क बोर्ड ठेके के लिए खुली नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर राशि 50,000/– (पचास हजार रुपये) नगर निगम कोष में जमा कराने होगे। उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि बोलीदाता को ठेका अवधि समाप्त होने के पश्चात ही लौटाई जावेगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि 15 दिवस के पश्चात् लौटाई जायेगी। अन्य बोलीदाताओं को धरोहर राशि नीलामी के पश्चात् वापस कर दी जावेगी। नीलामी की अन्तिम व उच्चतम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
3. नीलामी के पश्चात् उच्चतम बोली स्वीकृत होने की स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को बोली की एक चौथाई राशि नीलामी समाप्ति पर उसी दिन निगम कोष मे जमा करनी होगी तथा शेष 3/4 राशि खुली नीलामी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा कराने में असफल रहने पर बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी। ऐसे बोलीदाता/फर्म को पुनः नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. संवेदक द्वारा प्रथम वर्ष की समस्त राशि जमा करवाए जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष की नीलामी राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि कर द्वितीय वर्ष हेतु नवीनीकरण राशि की गणना की जायेगी। इसी भाँति तृतीय वर्ष हेतु नवीनीकरण के लिए द्वितीय वर्ष की नवीनीकरण की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जावेगी। इस प्रकार द्वितीय व तृतीय वर्ष ठेका नवीनीकरण के लिए गणना की गई धन राशि संवेदक द्वारा क्रमशः प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की ठेका अवधि समाप्त होने के दो माह पूर्व जमा करवाई जानी होगी अन्यथा निगम धरोहर राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा एवं नयी नीलामी इनके रिस्क एंड कोस्ट के आधार पर जारी की जावेगी।
5. संवेदक द्वारा नियमानुसार देय राशि नियत समयावधि के पश्चात् जमा कराने पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।
6. नगर निगम द्वारा केवल साईट नीलाम की जा रही है। इस स्थान पर कियोस्क बोर्ड लगाने का व उस पर विज्ञापन का व्यय संवेदक को करना होगा।
7. कियोस्क बोर्ड का साईज 40"X30" Standard Size (स्टैण्डर्ड साईज) का होगा। इस साईज को घटाने–बढाने का अधिकार बीकानेर नगर निगम के सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निर्धारित साईज से भिन्न रुप से लगाए गए कियोस्क बोर्ड को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा–खर्चा संवेदक से वसूल किया जावेगा।
8. प्रत्येक पोल पर निर्धारित साईज के दो बोर्ड लगाने होगें। जहाँ पोल पर फ्यूज मीटर बॉक्स लगे हैं, वहाँ से ऊपर 2–3 फीट की ऊँचाई पर बोर्ड लगाने होगें।
9. कियोस्क बोर्ड लगाते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए संवेदक ही जिम्मेवार होगा। बीकानेर नगर निगम को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की क्षति–पूर्ति आदि देने की जिम्मेवारी नहीं होगी।
10. ठेके की स्वीकृती के पश्चात् संवेदक को 15 दिवस में नियमानुसार अनुबंध करवाना आवश्यक होगा। अनुबंध का समस्त खर्च संवेदक को वहन करना होगा।
11. बीकानेर नगर निगम के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को अधिकार होगा कि वह लगे हुए बोर्डो की जांच कर सकेगें। संवेदक को दिये गये निर्देशों एवं आदेशों की पालना संवेदक द्वारा की जानी अनिवार्य होगी। संवेदक द्वारा पालना नहीं करने पर निगम को अधिकार होगा कि वह कियोस्क बोर्ड हटवा कर हर्जा–खर्चा वसूल करे।
12. कियोस्क बोर्ड पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नही किया जावेगा।
13. संवेदक द्वारा ऐसा कोई कार्य नही किया जायेगा जिससे कि निगम सम्पति को खतरा या नुकसान होता हो। यदि निगम की सम्पति को किसी भी प्रकार से नुकसान या खतरा पहुंचना पाया गया तो सम्पति की वसूली संवेदक से की जायेगी एवं कानूनी कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

Scanned by CamScanner

(61)
बीकानेर नगर निगम
नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं :-0151-2226902, 0151-2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

14. यदि संवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी तकनीकी कार्य किया जाना आवश्यक हो तो यह कार्य अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता नगर निगम से सम्पर्क कर इनकी राय अनुसार ही करना होगा, किन्तु मूल सरंचना (original Structure) से किसी प्रकार की छेडछाड़ नहीं की जावेगी।
15. सभी कियोस्क बोर्ड इत्यादि को सही हालत में रखना होगा। संवेदक द्वारा प्रत्येक संरचना पर अपना नाम एवं साईट नं स्पष्ट एवं दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज संवेदक से वसूल किया जावेगा।
16. संवेदक का यह दायित्व होगा कि वह कियोस्क बोर्ड को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में कियोस्क बोर्ड नीचे नही गिरे। इनके गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की व भरपाई की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी। कियोस्क बोर्ड की देखरेख का समस्त दायित्व संवेदक का होगा। किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
17. किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणवश यदि कियोस्क बोर्ड मुडकर, मार्ग में गिरकर अवरोध, बाधा, विघ्न पैदा करते है तो इनको दुरूस्त कर नियमानुसार लगाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. यदि न्यायालय के निर्देशाधीन किसी साईट को हटाना या शिफ्ट करना पडे तो संवेदक को निर्देशानुसार ऐसा स्वंय के खर्चे कर करना होगा। नगर निगम, माननीय न्यायालय, स्वायत शासन विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशो एवं मानदण्डो की पालना संवेदक द्वारा अनिवार्य रुप से की जावेगी।
19. यदि कोई कियोस्क बोर्ड पर निगम हित में या जनहित में या यातायात इत्यादि में बाधक होने या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित न किये जा सकने की दशा में संवेदक द्वारा ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जावेंगें एवं संवेदक द्वारा निगम कोष में जमा करवाई गई धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं लौटाई जावेगी।
20. ठेका अवधि समाप्ति पर कियोस्क बोर्ड नहीं हटाने पर निगम हटा सकेगा एवं इसका हर्जा-खर्चा सबंधित संवेदक से वसूल किया जाएगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो संवेदक द्वारा ही जमा कराने का दायित्व होगा।
22. समय-समय पर जनहित में तथा सरकारी योजनाओ, उपलब्धियो कार्यक्रम आदि के प्रचार-प्रसार हेतु कियोस्क बोर्ड साईटस की आवश्यकता होने पर संवेदक द्वारा निगम की आवश्यकतानुसार साईटस उपलब्ध करवाई जावेगी। इस हेतु नगर निगम द्वारा किसी प्रकार का भुगतान संवेदक को नही किया जावेगा तथा न ही संवेदक द्वारा निगम कोष में जमा करवाई गई राशि का किसी तरह से समायोजन किया जावेगा।
23. ठेके की शर्तो में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम बीकानेर का होगा तथा संशोधन परिवर्तन संवेदक को मान्य होगा।
24. संवेदक नगर पालिका अधिनियम 2009, नगर निगम बीकानेर विज्ञापन उपविधियो के प्रावधानो, ठेके की शर्तो एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सक्षम अधिकारी/बीकानेर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशो एवं निर्देशो की पालना करने के लिए बाध्य होगा। इनका उल्लंघन पाऐ जाने पर ठेका निरस्त किया जाकर ठेके के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम बीकानेर द्वारा जब्त की जा सकेगी। ठेका निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से संवेदक के कियोस्क बोर्ड बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
25. विवादक स्थिति के लिए न्यायिक क्षेत्र बीकानेर शहर होगी।

7.2.18 राजस्व अधिकारी प्रथम नगर निगम बीकानेर	3/2/18 मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम बीकानेर	7/2/18 उपविधि परामर्शी नगर निगम बीकानेर	उपायुक्त नगर निगम बीकानेर

Scanned by CamScanner

(43)

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज०) फैक्स नं :- 0151-2226908, फोन नं :-0151-2226802, 0151 2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

कियोस्क बोर्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के ठेके की शर्तें

बीकानेर नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत पोलो पर कियोस्क बोर्ड लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु जोन संख्या 04 के लिए खुली नीलामी द्वारा किये जाने वाले ठेके की शर्तें :-

1. नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत पोलो पर कियोस्क बोर्ड लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ठेके की अवधि तीन वर्ष (प्रथम वर्ष खुली नीलामी के आधार पर + दो वर्ष नवीनीकरण के आधार पर) के लिए मान्य होगी।
2. कियोस्क बोर्ड ठेके के लिए खुली नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर राशि 50,000/- (पचास हजार रुपयें) नगर निगम कोष में जमा कराने होगे। उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि बोलीदाता को ठेका अवधि समाप्त होने के पश्चात ही लौटाई जावेगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि 15 दिवस के पश्चात् लौटाई जायेगी। अन्य बोलीदाताओं को धरोहर राशि नीलामी के पश्चात् वापस कर दी जावेगी। नीलामी की अन्तिम व उच्चतम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
3. नीलामी के पश्चात् उच्चतम बोली स्वीकृत होने की स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को बोली की एक चौथाई राशि नीलामी समाप्ति पर उसी दिन निगम कोष मे जमा करनी होगी तथा शेष 3/4 राशि खुली नीलामी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा कराने में असफल रहने पर बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी। ऐसे बोलीदाता/फर्म को पुनः नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. संवेदक द्वारा प्रथम वर्ष की समस्त राशि जमा करवाए जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष की नीलामी राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि कर द्वितीय वर्ष हेतु नवीनीकरण राशि की गणना की जायेगी। इसी भाँति तृतीय वर्ष हेतु नवीनीकरण के लिए द्वितीय वर्ष की नवीनीकरण की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जावेगी। इस प्रकार द्वितीय व तृतीय वर्ष ठेका नवीनीकरण के लिए गणना की गई धन राशि संवेदक द्वारा क्रमशः प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की ठेका अवधि समाप्त होने के दो माह पूर्व जमा करवाई जानी होगी अन्यथा निगम धरोहर राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा एवं नयी नीलामी इनके रिस्क एंड कोस्ट के आधार पर जारी की जावेगी।
5. संवेदक द्वारा नियमानुसार देय राशि नियत समयावधि के पश्चात् जमा कराने पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।
6. नगर निगम द्वारा केवल साईट नीलाम की जा रही है। इस स्थान पर कियोस्क बोर्ड लगाने का व उस पर विज्ञापन का व्यय संवेदक को करना होगा।
7. कियोस्क बोर्ड का साईज 40"X30" Standard Size (स्टैण्डर्ड साईज) का होगा। इस साईज को घटाने–बढाने का अधिकार बीकानेर नगर निगम के सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निर्धारित साईज से भिन्न रुप से लगाए गए कियोस्क बोर्ड को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा–खर्चा संवेदक से वसूल किया जावेगा।
8. प्रत्येक पोल पर निर्धारित साईज के दो बोर्ड लगाने होगें। जहाँ पोल पर फ्यूज मीटर बॉक्स लगे हैं, वहाँ से ऊपर 2–3 फीट की उँचाई पर बोर्ड लगाने होगें।
9. कियोस्क बोर्ड लगाते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए संवेदक ही जिम्मेवार होगा। बीकानेर नगर निगम को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की क्षति–पूर्ति आदि देने की जिम्मेवारी नहीं होगी।
10. ठेके की स्वीकृती के पश्चात् संवेदक को 15 दिवस में नियमानुसार अनुबंध करवाना आवश्यक होगा। अनुबंध का समस्त खर्च संवेदक को वहन करना होगा।
11. बीकानेर नगर निगम के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को अधिकार होगा कि वह लगे हुए बोर्डो की जांच कर सकेगें। संवेदक को दिये गये निर्देशों एवं आदेशों की पालना संवेदक द्वारा की जानी अनिवार्य होगी। संवेदक द्वारा पालना नहीं करने पर निगम को अधिकार होगा कि वह कियोस्क बोर्ड हटवा कर हर्जा–खर्चा वसूल करे।
12. कियोस्क बोर्ड पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नही किया जावेगा।
13. संवेदक द्वारा ऐसा कोई कार्य नही किया जायेगा जिससे कि निगम सम्पति को खतरा या नुकसान होता हो। यदि निगम की सम्पति को किसी भी प्रकार से नुकसान या खतरा पहुंचना पाया गया तो सम्पति की वसूली संवेदक से की जायेगी [illegible] कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं :-0151-2226902, 0151-2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

14. यदि संवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी तकनीकी कार्य किया जाना आवश्यक हो तो यह कार्य अधिषाशी अभियंता/सहायक अभियंता नगर निगम से सम्पर्क कर इनकी राय अनुसार ही करना होगा, किन्तु मूल सरंचना (original Structure) से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जावेगी।
15. सभी कियोस्क बोर्ड इत्यादि को सही हालत में रखना होगा। संवेदक द्वारा प्रत्येक संरचना पर अपना नाम एवं साईट नं स्पष्ट एवं दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज संवेदक से वसूल किया जावेगा।
16. संवेदक का यह दायित्व होगा कि वह कियोस्क बोर्ड को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में कियोस्क बोर्ड नीचे नही गिरे। इनके गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की व भरपाई की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी। कियोस्क बोर्ड की देखरेख का समस्त दायित्व संवेदक का होगा। किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
17. किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणवश यदि कियोस्क बोर्ड मुडकर, मार्ग में गिरकर अवरोध, बाधा, विघ्न पैदा करते है तो इनको दुरूस्त कर नियमानुसार लगाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. यदि न्यायालय के निर्देशाधीन किसी साईट को हटाना या शिफ्ट करना पडे तो संवेदक को निर्देशानुसार ऐसा स्वंय के खर्चे कर करना होगा। नगर निगम, माननीय न्यायालय, स्वायत शासन विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशो एवं मानदण्डो की पालना संवेदक द्वारा अनिवार्य रुप से की जावेगी।
19. यदि कोई कियोस्क बोर्ड पर निगम हित में या जनहित मे या यातायात इत्यादि में बाधक होने या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित न किये जा सकने की दशा में संवेदक द्वारा ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जावेंगें एवं संवेदक द्वारा निगम कोष में जमा करवाई गई धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं लौटाई जावेगी।
20. ठेका अवधि समाप्ति पर कियोस्क बोर्ड नहीं हटाने पर निगम हटा सकेगा एवं इसका हर्जा-खर्चा सबंधित संवेदक से वसूल किया जाएगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो संवेदक द्वारा ही जमा कराने का दायित्व होगा।
22. समय-समय पर जनहित में तथा सरकारी योजनाओ, उपलब्धियो कार्यक्रम आदि के प्रचार-प्रसार हेतु कियोस्क बोर्ड साईटस की आवश्यकता होने पर संवेदक द्वारा निगम की आवश्यकतानुसार साईटस उपलब्ध करवाई जावेगी। इस हेतु नगर निगम द्वारा किसी प्रकार का भुगतान संवेदक को नही किया जावेगा तथा न ही संवेदक द्वारा निगम कोष में जमा करवाई गई राशि का किसी तरह से समायोजन किया जावेगा।
23. ठेके की शर्तो में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम बीकानेर का होगा तथा संशोधन परिवर्तन संवेदक को मान्य होगा।
24. संवेदक नगर पालिका अधिनियम 2009, नगर निगम बीकानेर विज्ञापन उपविधियो के प्रावधानो, ठेके की शर्तो एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सक्षम अधिकारी/बीकानेर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशो एवं निर्देशो की पालना करने के लिए बाध्य होगा। इनका उल्लंघन पाऐ जाने पर ठेका निरस्त किया जाकर ठेके के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम बीकानेर द्वारा जब्त की जा सकेगी। ठेका निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से संवेदक के कियोस्क बोर्ड बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
25. विवादक स्थिति के लिए न्यायिक क्षेत्र बीकानेर शहर होगी।

राजस्व अधिकारी प्रथम नगर निगम बीकानेर	मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम बीकानेर	उपविधि परामर्शी नगर निगम बीकानेर	उपायुक्त नगर निगम बीकानेर

D:\DFC\Gaurav\Other Ravenue Department\अन्य राजस्व\Sitambar 2017 Office Letter.docx

Scanned by CamScanner